

दिनांक

आदेश

अस्युक्ति

३२
२०२०

अभिलेख उपरथापित। आवेदक सादो देवगम, पिता— स्व० गलाये देवगम, ग्राम—खप्परसाई, थाना—मुफ्फसिल, जिला—पश्चिमी सिंहभूम चाईवासा ने मौजा—खप्परसाई, थाना नं०—१०९, खाता नं०—१३, प्लॉट नं०—४२९ एवं ४३९, क्रमशः रकवा— ०.३४ एवं ०.१२ एकड़, कुल रकवा— ०.४६ एकड़ भूमि क्रेता, सुरा देवगम, पिता— मंगल सिंह देवगम, ग्राम— खप्परसाई, थाना— मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम झारखण्ड के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा ४६(१) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईवासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम से हालसर्व खातियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईवासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक—५११, दिनांक १६.०७.२०२० द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मति एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू—खण्ड को क्रेता सुरा देवगम, पिता— मंगल सिंह देवगम, ग्राम— खप्परसाई, थाना— मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष ३.०० एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू—सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईवासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सादो देवगम, पिता— स्व० गलाये देवगम, ग्राम—खप्परसाई, थाना—मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता सुरा देवगम, पिता— मंगल सिंह देवगम, ग्राम— खप्परसाई, थाना— मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास ४,००,०००.०० (चार लाख) रूपया मौजा— खप्परसाई, थाना नं०—१०९, खाता नं०—१३, प्लॉट नं०—४२९ एवं ४३९, क्रमशः रकवा— ०.३४ एवं ०.१२ एकड़, कुल रकवा— ०.४६ एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा ४६(१) परन्तु (ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईवासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईवासा